

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (Land Record Officer) जिला बारां (राज.)

क्रमांक

14/25

दिनांक 18.09.2025

-- :: निर्णय :: --

प्राथी श्री हीरालाल पुत्र श्रीलाल

पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम रूपदरेल पटवारी भूलोन जिला बारां की चालू जमाबंदी सम्वत् 2875-78 के खाता संख्या 68 में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जति हीरा पुत्र श्रीपा अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसो सम्मानजनक रूप से हीरालाल पुत्र श्रीलाल अंकित किया जावे। प्राथी के आवेदन पत्र की जाच पटवारी भूलोन से करवाने पर पटवारी ने हीरा पुत्र श्रीपा के बजाय हीरालाल पुत्र श्रीलाल करना उचित बताया। तहसीलदार छबड़ा ने भी उक्त खाते में हीरा पुत्र श्रीपा के बजाय हीरालाल पुत्र श्रीलाल करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्राच 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1953 एवं नियम 369 राजस्थान भूराजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम रूपदरेल के खाता संख्या 68 में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जति हीरा पुत्र श्रीपा के स्थान पर सम्मानजनक रूप से हीरालाल पुत्र श्रीलाल दर्ज कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार छबड़ा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।

उपखण्ड अधिकारी  
(Land Record Officer)  
जिला बारां  
सुपडगरा, बारां जिला  
छबड़ा, 2025